

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर
पीठासीन अधिकारी - श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.
मु. 57/2025

लक्ष्मण सिंह पुत्र जसुदान जाति चारण निवासी ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरु हाल आबाद राठौड़ी कुंआ, स्वामीजी की बगीची नागौर
वादी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरु राज.
- 2 अर्जूनदान पुत्र मौहब्बतदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 3 चन्द्रकंवर पुत्री अभयदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 4 दुर्गदान पुत्र दूलदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 5 दरिया कंवर पुत्री अभयदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 6 नोजा देवी पत्नि भारूदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 7 पृथ्वीदान पुत्र दीपदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 8 प्रभूदान पुत्र खंगदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 9 मनोहरी पुत्री जसुदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 10 मनोहरी पत्नि चेनाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 11 माघोदान पुत्र दूलदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 12 मालाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 13 रतनकंवर पुत्री अभयदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 14 रामवल्लभ पुत्र जसुदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 15 रामविलास पुत्र जसुदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 16 सन्तोषकंवर पुत्री अभयदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 17 मॉंगीलाल पुत्र जसुदान जाति चारण निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 18 पुरनाराम पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 19 सांवताराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
- 20 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु
- 21 शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक शाखा नागौर राजस्थान
- 22 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 23 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कातर बड़ी तह. बीदासर चूरु

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 188, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरुस्ति

उपस्थित

- 1 प्रार्थी :- मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
- 2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक - 26/06/25

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
भू राजस्व अधिनियम, 1955 व 136 बाबत रेकार्ड दुरुस्ति का पेश कर निवेदन किया कि

2 पर



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

मुझ वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता नम्बर 123 खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 0.6830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 6.9050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 6.2221 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 11.8370 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 25.6471 हैक्टेयर व खाता नम्बर 29 खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.2267 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.6440 हैक्टेयर खाता नम्बर 28 खसरा नम्बर 45 रकबा 9.8339 हैक्टेयर रोही सडू छोटी में संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उपरोक्त खसराजात की भूमि में मुझ वादी लक्ष्मण सिंह का नाम लिछमणराम अंकित है जो राजस्व रेकार्ड में बोलता नाम लिखवाया हुआ है मेरा वास्तविक और सही रेकार्डेड नाम लक्ष्मण सिंह पुत्र जसुदान है मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विधुत कनेक्शन, मतदाता कार्ड समस्त में मेरा नाम लक्ष्मण सिंह दर्ज है राजस्व रेकार्ड में नाम लिछमणराम होने के कारण समस्त प्रकार की दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण मैं प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ राजकीय अनुदान प्राप्त करने वास्ते, मेरे खातेदारी खेत पर कृषि ऋण प्राप्त करने वास्ते आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि से मिलान नहीं होने के कारण मैं राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ वादी ने पटवारी हल्का को अपने समस्त दस्तावेजात के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्ध करने का निवेदन किया. एवं अन्य सहखातेदारान् से नाम शुद्ध करवाने का निवेदन किया तो पटवारी हल्क एवं सहखातेदारान् ने नाम शुद्ध करवाने से दिनांक 02/4/2025 को इन्कार कर दिया जिससे वादी को वादाधार एवं वाद हैतुक प्राप्त है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि मुझ वादी की पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है वादी उपरोक्त खातो खसरान् का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। वादी वादगत खेत खाता नम्बर 123 खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 0.6830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 6.9050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 6.2221 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 11.8370 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 25.6471 हैक्टेयर व खाता नम्बर 29 खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.2267 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.6440 हैक्टेयर खाता नम्बर 28 खसरा नम्बर 45 रकबा 9.8339 हैक्टेयर रोही सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु का खातेदार कृषक है इसलिए वादी का वाद घोषणात्मक, रेकार्ड दुरुस्त प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है उपरोक्त खाते एवं खसरा नम्बर रोही सडू छोटी तहसील बीदासर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है का प्रस्तुत कर अनुतोष



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर रोही सडू छोटी के खेत खाता नम्बर 123 खेत खसरा 157 रकबा 0.6830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 6.9050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 6.2221 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 11.8370 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 25.6471 हैक्टेयर व खाता नम्बर 29 खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.2267 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.6440 हैक्टेयर खाता नम्बर 28 खसरा नम्बर 45 रकबा 9.8339 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दीयों में नाम लिछमणराम की वजाय लक्ष्मण सिंह शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये। प्रतिवादी/अप्रार्थी सख्या 1 को मुताबिक निर्णय व डिकी की पालना हेतू आदेशित किया जावे।


अर्जीदावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्ध करने की अनुशंसा की है।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। वादी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत अर्जीदावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ववादी का अर्जीदावा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही सडू छोटी के खेत खाता नम्बर 123 खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 0.6830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 6.9050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 6.2221 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 11.8370 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 25.6471 हैक्टेयर व खाता नम्बर 29 खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.2267 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.6440 हैक्टेयर खाता नम्बर 28 खसरा नम्बर 45 रकबा 9.8339 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दीयों में नाम लिछमणराम की वजाय लक्ष्मण सिंह शुद्ध किया जावे। डिकी परख अलग से जारी हो। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26/6/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर